भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

भाराराप्रा / नीति दिशानिर्देश / प्रशासन / 2026
नीति परिपत्र सं. 1.10.8 / 2026 दिनांक 07th जून, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. ADMIN-19011/1/2026-O/o GM (HR/Admin-I) (कम्प्युटर सं. 312052 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/ Administration / 2026
Policy Circular No.1.10.8 /2026 dated 07th June, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. ADMIN-19011/1/2026-O/o GM (HR/Admin-I)(Comp No. 312052)}

विषय: संसदीय समिति की सांविधिक बैठक के लिए दौरे के संबंध में रसद सहायता और आतिथ्य पर व्यय के लिए दिशानिर्देश/मानदंड।

Sub: Guidelines/Norms for expenditure on Logistics Support and Hospitality in connection with visits of Parliamentary Committees for Statutory Meeting.

कार्यालय आदेश सं. प्रशासन-19011/1/2026 (ई-312052) दिनांक 30.03.2026 द्वारा गठित समिति की दिनांक 07.04.2026 सिफारिशों के अनुसरण में, संसदीय समिति(यों) के दौरों एवं सांविधिक बैठक के संबंध में रसद (लॉजिस्टिक्स) सहायता और आतिथ्य, सत्कार पर व्यय से संबंधित मानदंडों के लिए दिनांक 27.05.2026 को आयोजित ईसी की 717वीं बैठक में भाराराप्रा के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और संबंधित प्रभागों/कार्यालयों द्वारा अनुपालन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश/मानदंड तय किए गए हैं

In pursuance of the recommendations dated. 07.04.2026 of the Committee constituted vide Office Order No. ADMIN-19011/1/2026 (e-312052) dated 30.03.2026 for preparation of norms relating to expenditure on Logistics Support and Hospitality, entertainment in connection with visits & Statutory Meeting of Parliamentary Committee(s), the following Guidelines/Norms for compliance by all Regional Offices (ROs) and concerned Divisions/Offices of NHAI are decided in the 717th EC meeting held on 27.05.2026:

i. **पृष्ठभूमि**
Background.

गठित की गई समिति ने पिछले दो वर्षों के दौरान संसदीय समिति के दौरों के दौरान किए गए व्यय पैटर्न की जांच और समीक्षा की तथा पाया कि कई कारकों के आधार पर व्यय भिन्न होता है यथा:

The constituted Committee examined & reviewed the expenditure patterns incurred during Parliamentary Committee visits over the past two years and observed that expenditure varies depending upon several factors such as:

Contd.....2/-

- माननीय समिति सदस्यों सहित सचिवालय के अधिकारियों की संख्या;
  Number of Hon'ble Committee Members and accompanying Secretariat Officials;

- दौरे का स्थान और स्थल;
  Location and Venue of the visit;

- पर्यटकों/व्यवसाय का पीक सीजन और उपलब्धता में बाधाएं;
  Peak Tourist/Business Season and availability constraints;

- अग्रिम बुकिंग और व्यवस्था के लिए उपलब्ध समय;
  Time available for advance booking and arrangements;

- नोडल एजेंसी या भागीदार एजेंसी के रूप में भाराराप्रा की भूमिका;
  Role of NHAI as Nodal Agency or Participating Agency;

- अन्य मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों की भागीदारी; और
  Participation of other Ministries/Departments/Agencies; and

- संसदीय समिति के प्रोटोकॉल, सुरक्षा और अन्य विशिष्ट आवश्यकताएं/ निर्देश।
  Protocol, Security and other specific requirements/directions of the Parliamentary Committee.

तदनुसार, भाराराप्रा को एक नोडल एजेंसी मानते हुए, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, प्रशासनिक सुविधा और एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु ऐसे प्रोटोकॉल आवश्यकताओं को बनाए रखते हुए सांकेतिक व्यय सीमाएं और व्यापक परिचालन मानदंड तैयार किए गए हैं।
Accordingly, considering NHAI as a Nodal Agency, the indicative expenditure ceilings and broad operational norms have been formulated to ensure Financial Discipline, Transparency, Administrative Convenience and Uniformity while maintaining such Protocol requirements.

ii. **<u>संकेतात्मक व्यय मानदंड</u>**: चार दिवसीय दौरे के लिए माननीय समिति के प्रत्येक सदस्य के लिए सांकेतिक व्यय की अधिकतम सीमा सामान्यतया निम्नानुसार होगी:
<u>Indicative Expenditure Norms</u>: The indicative expenditure ceiling per Hon'ble Committee Member for a Four-day visit shall ordinarily be as under:

Contd.....3/-

(a) माननीय समिति सदस्यों पर व्यक्तिगत व्यय
Individual Expenditure on Hon'ble Committee Members

Sr. No. क्र.सं.	मद Item	सांकेतिक सीमा (रुपए में) Indicative Ceiling (in Rs.)
1	आवास (04 दिन) Accommodation (4 days)	1,20,000
2	लंच/रात्रि भोज/अन्य आतिथ्य (8 अवसर) Lunch/Dinner/Other Hospitality (8 occasions)	50,000
3	गुलदस्ता, स्वागत किट, आदि। Bouquet, Welcome Kit, etc.	10,000
4	स्थानीय दौरा व्यय Local Visit Expenses	10,000
5	वाहनों सहित अतिरिक्त वाहनों (04 दिन), आदि Vehicles including additional Vehicles (4 days), etc.	4,00,000
6	विविध व्यय Miscellaneous Expenses	10,000
(a):	**4 दिनों की दौरा अवधि के लिए माननीय सदस्य के लिए कुल व्यय सीमा** **Total expenditure ceiling per Hon'ble Member for 4 days visit duration.**	**6,00,000**

<u>उदाहरण के लिए:</u> यदि समिति के सदस्यों की कुल संख्या 10 माननीय सदस्य है, तो इस श्रेणी के अंतर्गत कुल व्यय सीमा रु.60.00 लाख होगी (प्रत्येक समिति सदस्य की अधिकतम व्यय सीमा x समिति सदस्यों की कुल संख्या)

<u>Note:-</u> The Committee Member strength may vary i.e., for a example: If the Committee Member strength is 10 Hon'ble Members, the total expenditure ceiling under this category shall be Rs. 60.00 lakh (Maximum ceiling expenditure per Committee member X Total Committee Members strength)

Contd.....4/-

(b) <u>कार्यक्रम के आयोजन के लिए सामान्य व्यय</u> (भाराराप्रा के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने पर लागू)
<u>Common Expenditure for Organising the Event</u> (Applicable where NHAI acts as Nodal Agency)

संसदीय समिति के दौरे के संबंध में भाराराप्रा के नामित अधिकारियों/ कर्मचारियों के बोर्डिंग और आवास व्यय सहित सांकेतिक कॉमन व्यय तथा समन्वय, संपर्क, प्रोटोकॉल, प्रबंधन एवं आयोजन ड्यूटी के लिए विशेष रूप से तैनात मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों को 4 (चार) भागीदार मानते हुए कॉमन व्यय सामान्य रूप से निम्नानुसार तय किया जाएगा:
The indicative common expenditure including Board and Lodging expenditure of nominated Officers/Officials of NHAI and assuming 4 (four) participating Ministries/Departments/Agencies and specifically deployed for Coordination, Liaison, Protocol, Management and Organisational duties in connection with the Parliamentary Committee visit shall ordinarily be as under:

क्र. सं. Sr. No.	मद Item	सांकेतिक सीमा (रुपए में) Indicative Ceiling (in Rs.)
1	मीटिंग हॉल/कॉन्फ्रेंस व्यवस्था Meeting Hall/Conference Arrangements	5,00,000
2	ऑडियो/वीडियो/प्रदर्शन और संबद्ध व्यवस्थाएं Audio/Video/Display & allied arrangements	5,00,000
3	चाय, जलपान और आकस्मिक व्यवस्था Tea, Snacks & incidental arrangements	3,00,000
4	कॉमन लंच (100 पैक्स) जिसमें माननीय समिति सदस्य, यदि कोई हो, के लिए सिल्वर सर्विस शामिल है Common Lunch (100 Pax) including Silver service for Hon'ble Committee Member, if any	5,00,000
5	कॉमन डिनर (100 पैक्स) जिसमें माननीय समिति सदस्य, यदि कोई हो, के लिए सिल्वर सर्विस शामिल है Common Dinner (100 Pax) including Silver service for Hon'ble Committee Member, if any	5,00,000
6	सांस्कृतिक कार्यक्रम Cultural Programme	10,00,000
7	कॉमन दौरा व्यवस्था Common Visit Arrangements	2,00,000
8	कॉमन वाहन व्यवस्था Common Vehicle Arrangements	5,00,000
9	प्रत्येक भागीदार मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों की ओर से 11 (ग्यारह) अधिकारी मानते हुए 4 (चार) भागीदार मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के अधिकारियों के लिए आवास (4 दिन) Lodging for official of 4 (four) participating Ministries/Departments/ Agencies (4 days) assuming 11 (eleven) officers for each participating Ministries/ Departments/Agencies.	1,40,80,000
10	अन्य प्रबंधन व्यय Other management expenditure	2,80,000
(b):	**4 भागीदार मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के लिए कुल अधिकतम व्यय <u>(समान रूप से साझा किया जाना है)</u>** **Total Ceiling Expenditure for 4 Participating Ministries/Departments/Agencies <u>(To be shared equally)</u>**	**1,83,60,000**

Contd.....5/-

iii. समिति के सदस्यों की संख्या के आधार पर व्यय की प्रयोज्यता
Applicability of expenditure based on Strength of Committee Members

इस दिशानिर्देश में पैरा ii (a) के नोट और पैरा ii(b) के अंतर्गत उपरोक्त सारणी में निर्धारित कुल सांकेतिक व्यय की अधिकतम सीमा क्रमशः समिति के कुल 10 (दस) माननीय समिति सदस्यों और 4 (चार) भागीदार एजेंसियों की संख्या पर आधारित है। The total indicative expenditure ceilings prescribed above under Note of Para ii (a) and Total of Table under para ii (b) in this Guideline are based on a committee strength of up to total 10 (ten) Hon'ble Committee Members and 4 (four) Participating Agencies respectively.

जब भी माननीय समिति सदस्यों की संख्या / समिति की संख्या 10 सदस्यों से अधिक या कम हो जाती है और भागीदार मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों की संख्या 4 से अधिक या कम हो जाती है, तो संबंधित व्यय की अधिकतम सीमा को तर्कसंगत आधार पर आनुपातिक रूप से बढ़ाया / घटाया जा सकता है:
Whenever the number of Hon'ble Committee Members/Committee Strength exceeds or fall short of 10 Members and the Participating Ministries/Departments/Agencies strength exceeds or fall short of 4 numbers, the respective expenditure ceiling may be increased/ decreased proportionately on a rational basis considering:

- समिति के माननीय सदस्यों सहित उनके साथ आने वाले अधिकारियों की संख्या;
  Number of Hon'ble Members of the Committee and accompanying Officials;
- दौरा/कार्यक्रम की अवधि;
  Duration of visit/programme;
- अतिरिक्त परिवहन, आवास और सुरक्षा आवश्यकताएं;
  Additional Transport, Accommodation and Security requirements;
- स्थल क्षमता और रसद आवश्यकताएं; और
  Venue capacity and Logistical requirements; and
- भागीदार मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों की संख्या।
  Number of Participating Ministries/Departments/Agencies.

iv. भाराराप्रा के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने पर पालन किए जाने वाले मानदंड
Norms to be followed where NHAI acts as Nodal Agency:

जब भाराराप्रा सांविधिक बैठक के लिए संसदीय समिति के दौरे/कार्यक्रम के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, तब निम्नलिखित सिद्धांत लागू होंगे:
Where NHAI acts as the Nodal Agency for Organising the Parliamentary Committee visit/Programme for Statutory Meeting, the following principles shall apply:

(A) पैरा ii (a) में दर्शाया गया व्यय व्यक्तिगत व्यय होगा (जब भी भाराराप्रा एक नोडल एजेंसी है) और तत्पश्चात पैरा ii (b) में दर्शाया गया व्यय सभी भागीदार मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के बीच आनुपातिक रूप से साझा किया जाएगा।

Contd.....6/-

Expenditure indicated at Para ii (a) shall be individual expenditure (whenever NHAI is a Nodal Agency) and followed by expenditure indicated in Para ii (b) shall be shared proportionately among all participating Ministries/ Departments/Agencies.

(B) किसी भी भागीदार एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से गुलदस्ते, स्वागत व्यवस्था, स्मृति चिन्ह या माननीय समिति सदस्यों को उनके द्वारा दी गई व्यक्तिगत आतिथ्य से संबंधित किए गए अलग व्यय (यदि कोई हो), उस एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा और यह कॉमन साझा व्यय का हिस्सा नहीं होगा।
Separate expenditure (if any) incurred independently by any Participating Agency towards bouquets, welcome arrangements, souvenirs or individual hospitality extended by them to Hon'ble Committee Members shall be borne by the respective Agency concerned and shall not form part of the common shared expenditure.

(C) ऐसे प्राक्कलन को इन दिशानिर्देशों के पैरा vii में उल्लेखित प्रत्यायोजन के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।
Such estimate shall be approved as per delegation stated in the Para vii of these Guidelines.

v. भाराराप्रा द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में ना होकर भागीदार एजेंसी के रूप में कार्य करने पर लागू मानदंड
Norms where NHAI acts as Participating Agency (Not as Nodal Agency)

जब कोई अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और भाराराप्रा एक भागीदार एजेंसी के रूप में भाग लेता है:
Where another Ministry/Department/Organisation acts as the Nodal Agency and NHAI participates as a participating agency:

(A) भाराराप्रा पैरा ii (b) में दर्शाए गए अनुमोदित कॉमन व्यय का केवल अपना आनुपातिक हिस्सा वहन करेगा। आयोजन एजेंसी द्वारा मांग किए जाने पर पैरा ii (a) में दर्शाए गए व्यय को साझा करने पर आनुपातिक रूप से भी विचार किया जा सकता है।
NHAI shall bear only its proportionate share of the approved common expenditure as indicated in Para ii (b). The demand for sharing of expenditure as indicated in Para ii (a) may also be considered proportionately, if demanded by the Organizing Agency.

(B) भाराराप्रा की ओर से माननीय सदस्यों के लिए गुलदस्ते, स्वागत व्यवस्था, संपर्क या प्रोटोकॉल के लिए किए गए स्वतंत्र व्यय को भाराराप्रा द्वारा अलग से वहन किया जाएगा और यह कॉमन साझा व्यय का हिस्सा नहीं होगा।
Expenditure incurred independently by NHAI towards Bouquets, welcome arrangements, Liaison or Protocol for Hon'ble Members shall be borne separately by NHAI and shall not form part of the common shared expenditure.

(C) ऐसे प्राक्कलन को इन दिशानिर्देशों के पैरा vii में उल्लेखित प्रत्यायोजन के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।
Such estimate shall be approved as per delegation stated in the Para vii of these Guidelines.

Contd.....7/-

vi. **शक्तियों का प्रत्यायोजन -**
Delegation of Powers -

(A) (a) संसदीय समिति दौरों के लिए आयोजित सांविधिक बैठकों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में पैरा ii (a) और (b) में निर्दिष्ट निर्धारित सांकेतिक व्यय की अधिकतम सीमा के भीतर किए जाने वाले व्यय को मंजूरी देने की शक्ति वित्त प्रभाग की वित्तीय सहमति सहित प्रभाग के संबंधित सदस्य के पास निहित होगी।
The Power to approve expenditure within the prescribed indicative expenditure ceilings specified in Para ii (a) and (b) shall vest with the concerned Member of the Division with financial concurrence of the Finance Division in respect of proposals submitted by the Regional Office (RO) for Parliamentary Committee visits conducted for Statutory Meetings.

(b) ऐसे मामलों में जहां किसी प्रस्ताव में प्रोटोकॉल आवश्यकताओं, सुरक्षा संबंधी विचारों, प्रशासनिक आवश्यकताओं, स्थल-विशिष्ट बाधाओं या अन्य समान कारणों के कारण पैरा ii (a) और (b) में निर्दिष्ट निर्धारित सांकेतिक व्यय की अधिकतम सीमा से 20% तक विचलन शामिल है, संबंधित आरओ उचित औचित्य रिकॉर्ड करेगा और ऊपर पैरा vi (A) (a) में निर्धारित शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) के अनुसार अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले आर्थिक उपायों का पालन सुनिश्चित करेगा।
In cases where a proposal involves a deviation of up to 20% from the prescribed indicative expenditure ceilings specified in Para ii (a) and (b) due to Protocol requirements, security considerations, administrative exigencies, venue-specific constraints or other similar reasons, the concerned RO shall record proper justification and ensure observance of economy measures before submitting the proposal to the Competent Authority for approval in accordance with the Delegation of Powers (DoP) stipulated in Para vi (A) (a) above.

(B) पैरा ii (a) और ii (b) में निर्दिष्ट निर्धारित सांकेतिक व्यय की अधिकतम सीमा से 20% से अधिक विचलन वाले किसी भी प्रस्ताव के व्यय के मंजूरी की शक्ति वित्त प्रभाग की वित्तीय सहमति सहित सदस्य (प्रशासन) के पास निहित होगी। ऐसे प्रस्तावों को संबंधित आरओ द्वारा उचित औचित्य सहित समर्थित किया जाएगा, जिसमें सांविधिक बैठकों के लिए संसदीय समिति के दौरों से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में आर्थिक उपायों का उचित ध्यान रखा जाएगा।
The power to approve expenditure of any proposal involving a deviation exceeding 20% from the prescribed indicative expenditure ceilings specified in Para ii (a) and (b) shall vest with the Member (Admn.) with Financial concurrence of the Finance Division. Such proposals shall be supported with proper justification recorded by the concerned RO, with due regard to economy measures in respect of proposals relating to Parliamentary Committee visits for Statutory Meetings.

Contd.....8/-

(C) उपरोक्त शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में, भाराराप्रा नीति परिपत्र सं. 4.25/2019 दिनांक 01.10.2019 के पैरा 7(v) में निहित शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन के उपलब्ध प्रावधान, इस दिशानिर्देश से संबंधित, केवल उपरोक्त सीमा तक संशोधित होंगे।
As regard to the aforesaid Delegation of Power, the existing provisions of the prevailing Delegation of Powers contained in Para 7 (v) of NHAI Policy Circular No. 4.25/2019 dated 01.10.2019 shall stand modified to the above extent only, insofar as this Guideline is concerned.

vii. सामान्य निर्देश
General Instructions

(A) निर्धारित मानदंड/दिशानिर्देश की प्रकृति सांकेतिक है और निम्नलिखित सुनिश्चित करने हेतु अभिप्रेत हैं:
The prescribed Norms/Guidelines are indicative in nature and intended to ensure:

- वित्तीय अनुशासन और अर्थव्यवस्था;
  Financial discipline & economy;
- व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही;
  Transparency and Accountability in Expenditure;
- व्यवस्थाओं में एकरूपता;
  Uniformity in arrangements;
- कॉमन व्यय का तर्कसंगत बंटवारा; और
  Rational sharing of common expenditure; and
- लागू वित्तीय नियमों, जीएफआर प्रावधानों और मितव्ययिता निर्देशों का अनुपालन।
  Compliance with applicable Financial Rules, GFR Provisions and Austerity instructions.

(B) सभी संबंधित कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आर्थिक और सार्वजनिक जवाबदेही के प्रति समुचित ध्यान देने के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से किया जाए।
All concerned Offices shall ensure that expenditure is incurred strictly on actual requirement basis with due regard to economy and Public Accountability; and approval of the Competent Authority.

(C) जहां तक संभव हो, अंतिम समय में की जाने वाली व्यवस्था के कारण व्यय में वृद्धि से बचने हेतु अग्रिम योजना और बुकिंग की जानी चाहिए।
As far as possible, advance planning and booking shall be undertaken to avoid escalation of expenditure due to last-minute arrangements.

Contd.....9/-

(D) संबंधित आरओ/प्रभाग लेखापरीक्षा और समाधान प्रयोजन हेतु व्यय, अनुमोदन, साझाकरण व्यवस्था और समर्थन दस्तावेजों का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे।
The concerned RO/Division shall maintain complete records of expenditure, approvals, sharing arrangements and supporting documents for audit and reconciliation purposes.

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

07/06/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
   Library for hosting the Circular on Library site.

2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
   Web Admin for Circulation.

3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
   PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.